राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन, जिला बाडमेर

क्रमांक/रीडर/2017/1719 दिनांक 15/7/17

प्रेषित :-

तहसीलदार सेड़वा

विषय :- राजस्व वाद सं. 30/2012 अनवान जुसब वगैरा बनाम शेरखां वगैरा में पारित निर्णय की पालना करने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है इस न्यायालय में विचाराधीन उपरोक्त वाद में निर्णय दिनांक 29.06.2017 को पारित किया गया है। अतः उक्त निर्णय की प्रमाणित प्रति सलंग्न कर भिजवाई जा रही है। उक्त निर्णय अनुसार निर्णय की पालना कर पालना रिपोर्ट पेश करे।

सलंग्न :- निर्णय की प्रमाणित प्रति।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी चौहटन

डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाबता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Applendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर चौहटन | मुकाम चौहटन

व इजलास ***श्री भागीरथराम आर.ए.एस.***

1.जुसब पुत्र असरफ 2.रहमत अली पुत्र अब्दुल करीम 3.मोहम्मद हसन पुत्र ईनायत 4.हुसैम पुत्र ईनायत जाति मुसलमान निवासी बींजासर 5.डूंगराराम पुत्र गोरखाराम जाति जाट निवासी शोभाला जेतमाल

बनाम

1.शेरखां 2.अलीखां 3.मीरखां 4.पिराणा 5.लुकमान 6.शकूर 7.मिठाल पि. शेर खां 8.पप्पू खां 9.अकबर पि.अलीखां जाति मुसलमान, निवासी मीठे का तला

वाद बाबत 188, RT Act.

मुकदमा नं. 30/2012

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू.ब.रू. **न्यायालय** बहाजरी **श्री महेन्द्र चौधरी** एड. मिनजानिब मुदाई व **श्री शाकर खान** एड. मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि **वादीगण का वाद स्वीकार कर मौजा बींजासर, तहसील सेड़वा के खसरा सं. 365 रकबा 93.14 बीघा का आया हुआ है। उक्त विवादित भूमि में सक्षम न्यायालय के आदेशों तक प्रतिवादीगण को वादीगण के खातेदारी की भूमि के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करने की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। तहसीलदार सेड़वा को आदेश दिया जाता है कि निर्णय की पालना सुनिश्चित करावे।** ....

.... बीज .... मबलिग .... बाबत ....

पर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह .... फीसदी सालाना आज ही तारीख से तारीख व सूलप्रार्थी तक .... को अदा करे।

वास्ते मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 29.6.17 को जारी की गई।

दस्तखत सहायक कलक्टर

मुहर

ओहदा (SDO) चौहटन

मुदई	रूपया	पै.	मुद्दायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्चीदाया स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प सबूत पइमनामा वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वर्जी महनताना वकील) पर खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		
मुतफरिक मीजान					

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा दर दो फरीकेन का चाहे बिकरी के जरिये दिलावे .... करना।

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व वाद सं. 30/2012

पीठासीन अधिकारी –श्री भागीरथराम, आर.ए.एस

अन्तर्गत धारा 188, रा.का.अ.

अनवान वादीगण– 1.जुसब पुत्र असरफ 2.रहमत अली पुत्र अब्दुल करीम 3.मोहम्मद हसन पुत्र ईनायत 4.हुसैन पुत्र ईनायत जाति मुसलमान निवासी बींजासर 5.डूंगराराम पुत्र गोरखाराम जाति जाट निवासी शोभाला जेतमाल

बनाम

प्रतिवादीगण – 1.शेरखां 2.अलीखां 3.मीरखां 4.पिराणा 5.लुकमान 6.शकूर 7.मिठाल पि. शेर खां 8.पप्पू खां 9.अकबर पि.अलीखां जाति मुसलमान, निवासी मीठे का तला

अधिवक्तागण – वादीगण वकील – श्री महेन्द्र चौधरी
प्रतिवादीगण वकील – श्री शाकर खान

निर्णय

दिनांक :– 29.6.17

वादीगण का वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण के स्वयं के संयुक्त खातेदारी एवं मालिकाना अधिकारों का खेत खसरा सं. 365 रकबा 93.14 बीघा मौजा बींजासर में आया हुआ है। उक्त खसरा के सेढ़ा सेढ़ ही प्रतिवादीगण के खेत आये हुए है। प्रतिवादी सं. 1 से 9 के खेत पड़ौस में आये हुए है। प्रतिवादीगण वादीगण के उक्त खेत का कणा तोड़कर ज्यादा काश्त करने की कोशिश करते है। वादीगण को हर समय काश्त करने में अड़चने डालते रहते है। जिससे परेशान होकर वादीगण ने अपने उक्त खेत की नेखमबन्दी हेतु प्रार्थना पत्र श्रीमानजी के समक्ष किया था जिसमें वादीगण के उक्त खेत की पक्की नेखमबन्दी के आदेश दिनांक 15.12.2011 को कर तहसीलदार चौहटन को आदेश प्रेषित कर पक्की नेखमबन्दी की पालना रिर्पोट

सहायक कलक्टर (SDO) चौहटन

भेजने का आदेश फरमाया था। उक्त नेखमबन्दी के आदेश की पालना में आर.आई. व पटवारी हल्का बींजासर दिनांक 21.01.2012 को मौके पर पहुंचे लेकिन प्रतिवादीगण ने नेखम कायम करने में बाधा पहुंचाई तथा नेखम हेतु लाये गये नेखम उठाकर ले गये। जिस पर राजस्व कर्मचारी नेखम कायम करने की कार्यवाही छोड़कर चले गये। प्रतिवादीगण ने वादीगण के खेत पर भी कब्जा करने की कोशिश की। प्रतिवादीगण कई वर्षो से वादीगण को नाहक तंग व परेशान करते आ रहे है। इसलिए वादीगण इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण जारी करवाना चाहते है। इस हेतु वाद पेश कर इस्तदुआ चाही गई है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुए। प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता शाकर खान ने वकालतनामा पेश किया। जो पत्रावली शामिल किया गया। वादीगण वकील द्वारा दस्तावेजों में नकल जमाबन्दी व नकल नक्शा मौजा बींजासर के खेत खसरा सं. 365 की प्रमाणित प्रतियां न्यायालय में पेश की।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2017 कोर्ट कैम्प बींजासर में दिनांक 29.06.17 को पेश हुई। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। प्रस्तुत दस्तावेज का अध्ययन अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि वादीगण का वाद स्वीकार करने योग्य है।

अतः न्यायहित में वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा **बींजासर, तहसील सेड़वा के खसरा सं. 365 रकबा 93.14 बीघा का आया हुआ है। उक्त विवादित भूमि में सक्षम न्यायालय के आदेशों तक प्रतिवादीगण को वादीगण के खातेदारी की भूमि के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करने की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। तहसीलदार सेड़वा को आदेश दिया जाता है कि निर्णय की पालना सुनिश्चित करावे।** पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। संख्या से एक कम हो।

निर्णय आज दिनांक 29.06.17 को राजस्व लोक अदालत अभियानः न्याय आपके द्वार 2017 को न्यायालय कैम्प बींजासर मे सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी चौहटन